



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 ()आकाशि/नि.सं./ 257

दिनांक :- 25/06/2020


समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय
(निजी महाविद्यालय की NOC के संबंध में नोडल अधिकारी)
राजस्थान।

विषय:- सत्र 2020-21 हेतु नवीन निजी महाविद्यालयों एवं नवीन विषय/संकाय के
ऑनलाइन आवेदनों की बकाया निरीक्षण रिपोर्ट 1 जुलाई 2020 तक आवश्यक
रूप से प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ:- आयुक्तालय का पत्रांक 256 दिनांक 24.06.2020


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2020-21 में प्राप्त नवीन
निजी महाविद्यालय व नवीन विषय/संकाय के आवेदनों में लम्बित निरीक्षण रिपोर्ट नियमानुसार
निरीक्षण कर विभाग में दिनांक 01.07.2020 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन एवं ऑफ लाइन
प्रेषित करें। संस्था द्वारा निरीक्षण नहीं करवाने की स्थिति में, इस बाबत संस्था सचिव/अध्यक्ष
द्वारा हस्ताक्षरित पत्र संलग्न करते हुए रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि आवेदन निरस्त करने की
कार्यवाही की जा सके।

अतः कार्य की गंभीरता के मध्येनजर दिनांक 01.07.2020 तक रिपोर्ट प्रेषित नहीं किये जाने
पर की जाने वाली कार्यवाही के लिए नोडल प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।


(प्रदीप कुमार बोरड़, IAS)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त प्रबंधक, सम्बन्धित निजी महाविद्यालयों को भेजकर लेख है कि वे नोडल राजकीय
महाविद्यालयों के माध्यम से उक्त तिथी से पूर्व निरीक्षण कार्यवाही पूर्ण कराते हुए निरीक्षण
रिपोर्ट आयुक्तालय को प्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपका आवेदन निरस्त
कर दिया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (नि. सं.)